296

संख्या– 204/XXXVI(1)/2011–135/2007

प्रेषक,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2011

विषयः मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनांक 01–04–2009 से विशेष भत्ता स्वीकृत किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4808/UHC/III/3/2009–10 दिनांक 14–10–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है श्री राज्यपाल वेतन विसंगति समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में वित विभाग के शासनादेश संख्या 311/XXVII (7)40(15)/2011 दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 में उल्लिखित विवरणानुसार मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में कार्यरत अनुभाग अधिकारी/समकक्ष अधिकारियों से उच्च पदधारको को, न्यायिक सेवा के अधिकारियों को छोड़ते हुए, शासनादेश संख्या–80/XXXVI(1)/2011–135/2007 दिनांक 25 जुलाई 2011 के आधार पर दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों में सुसंगत ग्रेड वेतन का 20 प्रतिशत की दर से विशेष भत्ता दिनांक 01–04–2009 से अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त भत्ता स्वीकृति के फलस्वरूप दिनांक 01–04–2009 से 30–11–2011 तक के एरियर की समस्त धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और जो कर्मचारी उक्त निधि के सदस्य नही है, उन्हें उक्त एरियर का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जावेगा। जो कर्मचारी इस बीच सेवानिवृत्त हो चुके है या सेवानिवृत्त होने वाले है, उन्हें एरियर की धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा।

3– वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय में कम्प्यूटर पर कार्य किया जा रहा है। फलस्वरूप इस आधार पर टाईपराइटर मैकनिक के पद को बनाये रखे जाने का औचित्य नही है। अतः उक्त पद पर कार्यरत पदधारक को भी उक्तानुसार विशेष भत्ता इस शर्त पर अनुमन्य होगा कि उक्त पद डाईंग कैडर माना जायेगा।

4– विशेष भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में अन्य शर्ते यथावत लागू रहेगी।

5– उक्त सम्बन्ध में होना वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक'' 2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

क्रमश.....2

6— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—194/XXVII(7)/2011 दिनांक 22—12—2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डी0 पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या— 204 /XXXVI(1)/2011—135/2007 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून
2— वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
3— वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनुभाग—7
4— गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(एम0 एम0 सेमवाल)
उपसचिव